राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

*****

क्रमांकः प. 3(4)नविवि/II/2021 जयपुर, दिनांकः 2 MAR 2022

संशोधित–आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर नियोजन सेवा के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक श्री चन्द्रशेखर पाराशर को **" प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 "** की सफल क्रियान्विति, नगर नियोजन संबंधित कार्यो यथाः– मास्टर प्लान आदि की समीक्षा किए जाने, बाधाओं को दूर करने एवं समय–समय पर मॉनिटरिंग किए जाने, नगर निकायों की सहायतार्थ, नगर निगम हैरिटेज के **" स्पेशियल एरिया हैरिटेज प्लान "** एवं हैरिटेज नगर निगम के अन्य कार्यो को प्राथमिकता से समय पर पूर्ण कराए जाने के क्रम में श्री चन्द्रशेखर पाराशर, सेवानिवृत्त अति.मुख्य नगर नियोजक को पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए जयपुर नगर निगम हैरिटेज में कॉर्डिनेटर के पद पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री पाराशर को पूर्व में जारी आदेश दिनाँक 24.11.2021 में संशोधन करते हुए समेकित मानदेय, वाहन एवं अन्य सुविधा दिनांक 01.10.2021 से अग्रिम आदेश तक जयपुर नगर निगम हैरिटेज द्वारा वहन किया जाएगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Manish 2/7/3

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड/ई–मेल करावे।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

2/3/2022
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

D ...UDH Transfer Posting order